वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
दिसम्बर, 2022 माह हेतु डीपीई के संबंध में मासिक उपलब्धियां

1. कैपेक्स लक्ष्य:

दिसम्बर, 2022 माह तक के चुनिंदा सीपीएसईज़ (100 करोड़ रूपए और उससे अधिक के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य के साथ) और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में 6.62 लाख करोड़ रुपये (बजट प्राक्कलन) के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्यों और उसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी दिनांक 05 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। 6.62 लाख करोड़ रुपये (लगभग) के अनुमानित व्यय की तुलना में, उपलब्धि 4.50 लाख करोड़ रुपये (लगभग) अर्थात दिनांक 31.12.2022 तक लगभग 67.99% है। जो पिछले वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिनांक 31.12.2021 तक केवल 3.77 लाख करोड़ रूपए थी।

2. सीपीएसईज़ का संचालन:

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) को अनुसूची 'ख' से अनुसूची 'क' में पुनः वर्गीकृत करने के प्रस्ताव पर डीपीई में विचार किया गया था और इसे लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) को उनके विचारार्थ और सिफारिश के लिए भेज दिया गया है।

3. समझौता ज्ञापन डैशबोर्ड:

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एमओयू डैशबोर्ड के माध्यम से कुल 88 समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें से, 82 समझौता ज्ञापनों पर दिनांक 31.12.2022 तक सीपीएसई द्वारा ई–हस्ताक्षर किए गए हैं।

4. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल नोट्स:

i. माह के दौरान आईएमजी/सीएमसीडीसी की छः बैठकें आयोजित की गईं।
ii. टिप्पणियों के लिए प्राप्त अन्य विभागों के दो मसौदा कैबिनेट/सीसीईए नोटों की जांच की गई और वित्त मंत्रालय की समेकित टिप्पणियों पर माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए व्यय विभाग को टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।
iii. डीपीई ने नई दिल्ली में आयोजित भारत–यूके एफटीए वार्ता के 6$^{वें}$ दौर में भाग लिया।

5. वेतन संशोधन और वेतन अधिसूचना:

सीपीएसई/केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों आदि द्वारा संचालित अतिथि गृहों में अस्थायी प्रवास के दौरान (अधिकतम छह महीने तक) बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों, गैर–संघबद्ध पर्यवेक्षकों और सीपीएसई के सीवीओ को किराए की प्रतिपूर्ति / एचआरए के भुगतान के लिए डीपीई ने कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू–02/0027/2022–डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 02.12.2022 के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी किए गए।

6. कार्यक्रम और गतिविधियां कार्यान्वित करना:

एकेएएम समारोह के दूसरे वर्ष में, डीपीई ने चुनिंदा 75 सीपीएसईज़ को अपने कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों, टाउनशिप आदि में 750 चिकित्सा शिविर (आयुष पर जोर देने के साथ) आयोजित करने के लिए कहा है।

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं:

i. लोक उद्यम विभाग ने क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के सहयोग से नवरत्न और चुनिंदा मिनीरत्न सीपीएसईज़ के लिए दिनांक 5 दिसंबर, 2022 को स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में इन सीपीएसईज़ के सीएमडी/एमडी और डायरेक्टर एचआर और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों जैसे एलआईसी, जीआईसी आदि ने भी भाग लिया।

ii. डीपीई ने डिजिटल युग में कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और लोक शिकायत प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर महीने के दौरान 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 1 कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सीपीएसईज़ / एसएलपीई के 78 अधिकारियों ने भाग लिया।

iii. डीपीई ने दिनांक 21 दिसंबर, 2022 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग और स्कोप की सहभागिता से नई दिल्ली में एमएसई से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 77 सीपीएसईज़ के 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न उद्योग संघों के 50 से अधिक आमंत्रितगण, डीपीई, एमएसएमई मंत्रालय और स्कोप के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के तकनीकी सत्रों को एमएसएमई मंत्रालय, एनआईसी, राष्ट्रीय एससी/एसटी हब, आरबीआई और टीआरईडीएस प्लेटफार्मों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इंटरैक्टिव प्रस्तुतियों के साथ संबोधित किया। उद्योग संघों के प्रतिनिधियों को भी अपने विचार रखने और अपनी चिंताओं को उठाने के लिए मंच दिया गया था। जीईएम पोर्टल के संचालन में सीपीएसईज़ के सामने आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए जीईएम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशिष्ट इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया था।

8. सीपीएसईज़ द्वारा जीईएम और एमएसएमई के माध्यम से खरीद से संबंधित मामले:

i. वर्ष 2021–22 के दौरान एमएसई से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद उनकी कुल खरीद के अनिवार्य 25% के मुकाबले लगभग 32% थी। वर्ष 2022–23 (दिसंबर, 2022 तक) में एमएसई से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद बढ़कर 35.59% हो गई है।

ii. हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव ने जीईएम से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद में कई गुना वृद्धि सुनिश्चित की, कुल खरीद वर्ष 2020–21 में 7,035 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 45,970 करोड़ रुपये हो गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान, कुल खरीद पहले ही 55,618 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2022 तक) तक पहुंच गई है।

9. मिशन भर्ती:

डीपीई डीओपीटी के '*मिशन भर्ती*' पोर्टल पर अपेक्षित जानकारी अपलोड करने के लिए सीपीएसईज़ के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है। डीओपीटी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जनवरी, 2023 में आयोजित होने वाले रोजगार मेले के तीसरे ट्रेंच में सीपीएसईज़ के 8,873 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर, सीपीएसईज़ के 21,440 उम्मीदवारों को भर्ती के लिए अनुशंसित किया गया है।

10. लोक उद्यम सर्वेक्षण:

दिनांक 21 दिसंबर, 2022 को निम्नलिखित रिपोर्टों को संसद में रखा गया था।

i. लोक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021–22 – वर्ष 2021–22 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) के कार्य–निष्पादन पर वार्षिक रिपोर्ट।

ii. दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (वाणिज्यिक) के सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट से संबंधित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा संकलित 2022 की रिपोर्ट संख्या 27। प्रमुख विशेषताओं की एक प्रति **अनुबंध 'क'** में संलग्न है।

iii. दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों (वाणिज्यिक) से संबंधित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा संकलित 2022 की रिपोर्ट संख्या 33। प्रमुख विशेषताओं की एक प्रति **अनुबंध 'ख'** में संलग्न है।

******

अनुबंध - क

वर्ष 2022 की कार्यकारी सारांश रिपोर्ट संख्या 27 की मुख्य विशेषताएं

इस रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा सिफारिशें निगम संचालन, विनिवेश और समझौता ज्ञापन से संबंधित हैं। रिपोर्ट की सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

(क) निगम संचालन, लेखा परीक्षा अनुशंसा करता है कि:

1. प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग डीपीई/सेबी दिशानिर्देशों/विनियमों में यथा निर्धारित सूचीबद्ध सीपीएसईज़ द्वारा तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकते हैं। लेखा परीक्षा में सिफारिश की गई है कि सूचीबद्ध सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल को भी सीपीएसईज़ के कामकाज में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इन दिशानिर्देशों/विनियमों और अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

[**रिपोर्ट संख्या 27 का पैरा 3.16**]

(ख) विनिवेश प्रक्रिया, लेखा परीक्षा सिफारिश करती है कि:

1. आर्थिक कार्य विभाग वर्ष के दौरान प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों के बारे में दीपम से जानकारी लेने के बाद वास्तविक रूप से बजट अनुमान निर्धारित कर सकता है। इससे वर्ष के दौरान विनिवेश से प्राप्तियों का वास्तविक अनुमान लगाया जा सकेगा और एक कुशल और प्रभावी बजट प्रक्रिया तैयार की जा सकेगी।

[**रिपोर्ट संख्या 27 का पैरा 4.4**]

2. दीपम मर्चेंट बैंकरों के प्रदर्शन के विनिवेश के बाद के मूल्यांकन को सुदृढ़ कर सकता है, जिससे भविष्य के विनिवेश कार्यक्रमों की अधिक प्रभावी योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। दीपम यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि मर्चेंट बैंकरों से स्व–मूल्यांकन विधिवत प्राप्त किया जाए और उचित रूप से लागू किया जाए।

[**रिपोर्ट संख्या 27 का पैरा 4.6.2.2**]

3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री (आईपीओ और बिक्री की पेशकश) लेनदेन गतिशील बाजार स्थितियों से प्रभावित होते हैं और अनुमोदन के बाद बहुत लंबा समय ले रहे थे, दीपम आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से अनुमोदन के बाद विनिवेश को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थों की नियुक्ति आदि में कोई प्रक्रियात्मक देरी न हो।

[**रिपोर्ट संख्या 27 का पैरा 4.6.2.5**]

4. एक विनिदष्ट समय–सीमा के भीतर विरोधी शेयरों की बिक्री के लिए प्रतिलिपि शेयर जारी करने और शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया को शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

[**रिपोर्ट संख्या 27 का पैरा 4.9.1**]

(ग) समझौता ज्ञापन का विश्लेषण, लेखा परीक्षा सिफारिश करता है कि:

1. समझौता ज्ञापन के लिए निर्धारित लक्ष्य समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार यथार्थवादी, विकास उन्मुख और आकांक्षी होना चाहिए।

[**रिपोर्ट संख्या 27 का पैरा 5.7.2.3**]

2. लक्ष्य निर्धारित करने के लिए समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों से मापदंडों को अलग करते हुए, विस्तार से औचित्य दर्ज किया जा सकता है।

[**रिपोर्ट संख्या 27 का पैरा 5.7.2.3**]

3. बेहतर लक्ष्य के लिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/सीपीएसईज़/डीपीई एमएसएमई मंत्रालय के साथ समन्वय कर

सकते हैं ताकि ऐसे एमएसएमई के अद्यतन आंकड़े प्राप्त किए जा सकें और ऐसे एमएसएमई के बीच खरीद गतिविधियों का प्रभावी ढंग से प्रचार किया जा सके।

[**रिपोर्ट संख्या 27 का पैरा 5.7.2.4**]

4. समझौता ज्ञापन दिशानिर्देश एमओयू के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन और पीएनसी और आईएमसी की बैठक आयोजित करने के लिए विशिष्ट समय सीमा प्रदान कर सकते हैं ताकि एमओयू मापदंडों और लक्ष्य निर्धारित और मूल्यांकन समय पर किया जा सके।

[**रिपोर्ट संख्या 27 का पैरा 5.7.4.2**]

*****

वर्ष 2022 की कार्यकारी सारांश रिपोर्ट संख्या 33 की मुख्य विशेषताएं

1. इस रिपोर्ट में **7 मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 23 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज़) से संबंधित 26 व्यक्तिगत टिप्पणियां** शामिल हैं जिन्हें आगे तीन समूहों नामतः **ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना** के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया **है**।

2. व्यक्तिगत लेखा परीक्षा टिप्पणियों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹ 4,068.64 करोड़ है।

3. इस रिपोर्ट में व्यक्तिगत लेखा परीक्षा टिप्पणियां मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकृति की हैं:
   - 11 ऑडिट पैराग्राफ में 3499.17 करोड़ रुपये शामिल करने वाले नियमों, निर्देशों, प्रक्रिया, अनुबंध के नियमों और शर्तों आदि का अनुपालन न करना।
   - 5 लेखा परीक्षा पैराग्राफ में 71.09 करोड़ रुपये से जुड़े संगठनों के वित्तीय हितों की सुरक्षा न करना।
   - 7 लेखा परीक्षा पैराग्राफ में 296.73 करोड़ रुपये की दोषपूर्ण/कमी वाली योजना बनाई गई है।
   - 3 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में 201.65 करोड़ रुपये की अपर्याप्त/कमी वाली निगरानी शामिल है।

4. रिपोर्ट में लेखा परीक्षा के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ''वसूली और सुधार/संशोधन'' पर एक अध्याय शामिल है। अध्याय में दो पैराग्राफ हैं अर्थात (क) लेखा परीक्षा के अनुसार 13 सीपीएसईज़ द्वारा की गई 209.90 करोड़ रुपये की वसूली/बचत, और (ख) लेखा परीक्षा के अनुसार एक सीपीएसई द्वारा किए गए सुधार/संशोधन।

   यह उल्लेख किया गया है कि इन रिपोर्टों में निहित आपत्तियों या टिप्पणियों या सिफारिशों को हटाने या निपटाने के लिए कोई कार्रवाई संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा सीधे की जाती है और डीपीई की उस कार्रवाई में कोई भूमिका नहीं है।

*****